भारतीय ज्ञान संवाहन कार्यक्रम-2

भारतीय ज्ञान प्रणाली प्रभाग (आईकेएस) प्रशिक्षुता कार्यक्रम 2022-2023

आवेदन एवं निर्देश

प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु वेबसाइट: www.iksindia.org

स्मरणीय तिथियां

प्रशिक्षुता कार्यक्रम की घोषणा	अगस्त 30, 2022
प्रार्थनापत्र आवेदन अंतिम तिथि	सितंबर 15, 2022
परियोजना चयन की घोषणा	सितंबर 30, 2022
प्रगति प्रतिवेदन (प्रतिवेदन) देय	दिसंबर 31, 2022
अंतिम प्रतिवेदन देय	मार्च 15, 2023

संपर्क : Email: iksinternships@aicte-india.org **Phone:** 011 29581523
प्रस्ताव प्रस्तुति के लिए जालस्थल: https://iksindia.org/internship-form.php

भारतीय ज्ञान प्रणाली प्रभाग (आईकेएस) के सम्बन्ध में

अधिकांश ज्ञात इतिहास के लिए एक जीवंत एवं पुरातन सभ्यता, जो भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञान एवं विनिर्माण का वैश्विक केंद्र थी। एक ऐसी संस्कृति, जिसने मानवता के समस्त आयामों के विकास पर बल दिया एवं परस्पर सद्भाव के साथ-साथ पर्यावरण एवं इसके विस्तृत स्वरुप अर्थात ब्रह्मांड के साथ भी मनुष्य का एकात्म भाव जागृत किया। विश्व भर के सामयिक घटनाक्रम भलीभांति स्पष्ट कर रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रारूप विकृत एवं प्रकृति विरुद्ध है। वर्तमान आर्थिक व्यवस्थाओं के कारण विश्व भर में बढ़ती असमानताएं विकास के नवीन प्रतिमानों की प्रबल आवश्यकता की ओर इंगित करती है।

"वसुधैव कुटुम्बकम" के उदार भाव से ओतप्रोत भारतीय ज्ञान परम्परा (आईकेएस) एकमात्र भारतीय पद्धति है जो समस्त विश्व के लिए कल्याणकारी है। एआईसीटीई स्थित शिक्षा मंत्रालय के आईकेएस प्रभाग का प्रमुख ध्येय विद्यार्थी पीढ़ियों के लिए ऐसी प्रशिक्षण प्रक्रिया का प्रारम्भ करना है कि वे समस्त विश्व का परिचय भारतीय पद्धतियों से करा सकें। यदि हम इस शताब्दी में स्वयं को 'विश्व गुरु' के रूप में प्रस्तुत चाहते हैं, तो अत्यावश्यक है कि हम अपनी पारंपरिक धरोहर को जाने एवं विभिन्न कार्यों के निष्पादन की 'भारतीय पद्धति' से देश ही नहीं, समस्त विश्व को अवगत कराएं। **इसी दृष्टिकोण के साथ शिक्षा मंत्रालय के आईकेएस प्रभाग की स्थापना एआईसीटीई में की गयी थी, जो भारतीय ज्ञान परम्परा के समस्त पक्षों पर अंतर्विषयक एवं संघीय-अंतर्विषयक (ट्रांस इंटरडिसिप्लिनरी) अनुसंधान का अभिवर्धन करने तथा आगामी शोध एवं सामाजिक अनुप्रयोगों के निमित्त आईकेएस से सम्बद्ध ज्ञान का संरक्षण एवं प्रसार करने हेतु प्रयासरत है।**

आईकेएस प्रभाग के कार्य

1) विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों सहित भारत तथा विदेशों में विभिन्न संस्थानों द्वारा किए गए आईकेएस आधारित अंतर्विषयक एवं संघीय अंतर्विषयक कार्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना, इसे सुगम करना साथ ही निजी क्षेत्र के संगठनों को इससे जुड़ने हेतु प्रेरित करना।

2) संस्थानों, केंद्रों तथा व्यक्तिगत रूप से शोधरत, शोधकर्ताओं को सम्मिलित करते हुए विषयवार अंतर्विषयक अनुसंधान समूहों की स्थापना, मार्गदर्शन एवं निरीक्षण करना।

3) लोकप्रचार योजनाओं का निर्माण एवं प्रोत्साहन देना।

4) विभिन्न परियोजनाओं के वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करना एवं अनुसंधान करने हेतु तंत्र विकसित करना।

5) आईकेएस के उन्नयन के लिए जहाँ भी आवश्यक हो, नीतियों की अनुशंसा करना।

बीजी संवाहिनी -2 कार्यक्रम – एक दृष्टि

देश में स्थित पारंपरिक विद्यालयों एवं एसटीईएम शिक्षण संस्थानों में देश में आईकेएस को बढ़ावा देने की महती आवश्यकता है, जिसे इस उपक्रम के द्वारा संबोधित किया जाएगा। ***आईकेएस प्रशिक्षुता कार्यक्रम युवाओं को भारतीय भाषा में आईकेएस से संबंधित विभिन्न विषयों के गहन अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने एवं उत्साह जागृत करने के लिए अभिकल्पित किया गया है।*** छात्रों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय या वर्ष में किसी भी समय सक्रिय अनुसंधान में योगदान करने एवं सम्मिलित होने के अवसर उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अत: आईकेएस प्रभाग भारतीय ज्ञान संवाहिनी -2 नामक एक संस्थागत प्रशिक्षुता कार्यक्रम (बीजी संवाहिनी-2) प्रारम्भ कर रहा है। इसके अतिरिक्त आईकेएस प्रभाग के कार्यों में एनईपी-2020 के कार्यान्वयन में सहायता करना भी सम्मिलित है।

इन दो लक्ष्यों को साथ-साथ पूर्ण करने के लिए आईकेएस प्रभाग के मानक प्रशिक्षुता कार्यक्रम को संशोधित किया गया था। यह कार्यक्रम संगठनों के लिए तैयार किया गया है। एवं समुदाय से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर प्रशिक्षुता अवधि को अधिकतम 6 माह की अवधि तक लचीला बनाया गया है। प्रशिक्षुता प्रक्रिया का चयन भी संगठनों को ही सौंपा गया है।

यह प्रशिक्षुता कार्यक्रम संगठनों के लिए है जो आईकेएस परियोजनाओं के लिए स्पष्ट प्रदेय के साथ प्रशिक्षुओं को निमंत्रित करेंगे। संगठनों से अपेक्षा है कि आईकेएस परियोजना, प्रशिक्षुओं की आवश्यकता (व्यक्ति- माह के संदर्भ में) एवं परियोजना से प्राप्त होने वाले प्रदेय (डिलिवरेबल्स) का वर्णन करते हुए आईकेएस प्रभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तावों का मूल्यांकन विशेषज्ञों के एक दल द्वारा किया जाएगा एवं चयनित परियोजनाओं को उनके संस्थान में प्रशिक्षुओं के माध्यम से प्रस्तावित कार्य करने के लिए वित्त पोषित किया जाएगा। समीक्षा प्रक्रिया में विचार किये जाने हेतु परियोजना का स्पष्ट रूप से परिमाणात्मक प्रदेय (डिलिवरेबल्स) होना आवश्यक है। न्यूनतम एवं उत्तम योग्यता आवश्यकाताओं के साथ-साथ प्रशिक्षुओं की चयन प्रक्रिया, परियोजना की आवश्यकताओं के अनुरूप पूर्ण रूप से प्राप्तकर्ता संगठन द्वारा प्रबंधित की जायेंगी।

कार्यक्रम से अपेक्षित परिणामों की प्रकृतिः इस कार्यक्रम से प्राप्त प्रदेयों को आईकेएस क्षेत्र में एनईपी 2020 के कार्यान्वयन में आईकेएस प्रभाग का समर्थन करने वाला होना चाहिए। पाठ्य-सामग्री, डिजिटल मीडिया, मल्टीमीडिया संसाधन, हैंड-ऑन गतिविधियां, विद्यालयीन शिक्षा तथा स्नातक शिक्षा की पाठ्यक्रम सामग्री जैसे सामग्री निर्माण करना प्राथमिकता है। ये सामग्री ऐसे रूप में होनी चाहिए कि पाठ्यपुस्तक लेखकों द्वारा इसका उपयोग, विद्यालय एवं स्नातक स्तर पर पाठ्यपुस्तकों में सीधे समावेश के लिए किया जा सके। चित्र, स्केच, कला कार्य, कार्टून एवं मल्टीमीडिया के साथ-साथ पाठ्य-पुस्तक / आईकेएस समुदाय में उपयोग के लिए ग्राफिक्स, भारत की मौखिक परंपराओं सहित कला-कार्यों को संरक्षित करने वाले डिजिटल कोष का निर्माण प्राथमिकता है।

कृपया ध्यान दें कि आईकेएस प्रभाग किसी भी अन्य राजस्व का भुगतान किए बिना विभिन्न प्रशिक्षुता परियोजनाओं में निर्मित या संरक्षित की गई समस्त सामग्रियों का उपयोग करने / प्रसारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। योगदान करने वाले लेखक सभी प्रलेखों के अपने लेखकत्व को बनाए रखेंगे, किन्तु

स्वत्वाधिकार (कॉपीराइट) आईकेएस प्रभाग के साथ होगा। समस्त जनों को नि:शुल्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम से प्राप्त समस्त सामग्रियों को एक सार्वजनिक डोमेन में रखने का मंतव्य है।

आईकेएस प्रभाग के पूर्व प्रशिक्षुता कार्यक्रम एवं इस प्रशिक्षुता कार्यक्रम में अंतर तालिका-1 में देखा जा सकता है।

तालिका 1. आईकेएस प्रभाग के वर्तमान एवं पूर्व प्रशिक्षुता कार्यक्रमों के मध्य अंतर।

वर्तमान प्रशिक्षुता कार्यक्रम	**पूर्व प्रशिक्षुता कार्यक्रम**
लक्ष्य: युवाओं को सम्मिलित करना एवं एनईपी 2020 का कार्यान्वयन	लक्ष्य: युवाओं को भारतीय ज्ञान प्रणाली से जोड़ना
प्रदेय (डिलिवरेबल्स): पाठ्यक्रम, सामग्री, हैंड्स ऑन गतिविधियां, विशिष्ट विषयों पर प्रतिवेदन, आईकेएस प्रशिक्षुता ज्ञान अथवा ऐसी कोई भी सामग्री का प्रलेखीकरण जो एनईपी 2020 में सहायक होगी। कार्यान्वयन पयुक्तता को हमारी आवश्यकता के आधार पर एवं पूर्णरूप से आईकेएस प्रभाग के द्वारा ही आंका जाएगा।	प्रदेय: के विषय पर प्रगति प्रतिवेदन एवं एवं अंतिम प्रतिवेदन।
प्रशिक्षुता अवधि: लचीली प्रक्रिया, छह माह तक	प्रशिक्षुता अवधि: निश्चित, दो माह की
अध्येतावृत्ति: रुपये 10,000/- प्रति माह	अध्येतावृत्ति: रुपये 10,000/- प्रति माह +2,500 यात्रा भत्ता एवं विविध व्यय
मानदेय: पीआई, सह-पीआई तथा सहयोगियों को परियोजना प्राप्तकरता संगठन को प्राप्त राशि में से रुपये 2,500/- व्यक्ति-माह मानदेय का भुगतान किया जा सकता है।	मानदेय: मार्गदर्शकों के लिए कोई मानदेय नहीं
पात्रता: संगठन (प्रति संगठन एक प्रस्ताव)	पात्रता: व्यक्तिगत मार्गदर्शक एवं प्रशिक्षु
चयन मानदंड: आईकेएस प्रभाग के लक्ष्य के लिए प्रासंगिकता, एनईपी 2020 के कार्यान्वयन का समर्थन करने हेतु प्रदेय	चयन मानदंड: आईकेएस प्रभाग से सम्बंधित क्षेत्रों को प्राथमिकता
परियोजना प्रबंधन: परियोजना का प्रबंधन प्रधान अन्वेषक तथा सह-पीआई के पास होगा जो आईकेएस प्रभाग को समय पर रिपोर्ट एवं प्रलेख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा। मार्गदर्शक/मेंटर (पीआई, को-पीआई सहित) प्रशिक्षुओं को सभी मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।	मार्गदर्शक: पीआई, को-पीआई हैं। मार्गदर्शक प्रशिक्षुओं को सभी मार्गदर्शन प्रदान करता है। आईकेएस प्रभाग सभी कागजी कार्रवाई का प्रबंधन करता है।

<u>समर्थन प्रक्रिया</u> :प्रत्येक प्रशिक्षु को वर्तमान एआईसीटीई मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षुता अवधि के लिए 10, 000/- माह प्रशिक्षुता वृत्ति दी जायेगी। प्राप्तकर्ता संगठन को प्रशिक्षुता प्रक्रिया का प्रबंधन करने के लिए 2, 500/- प्रति व्यक्ति माह प्रदान किए जाएंगे। इन निधियों का उपयोग पीआई, सह पीआई-एवं विशेषज्ञों को मानदेय (परियोजना अवधि के लिए अधिकतम रु. 1.00 लाख) देने के लिए एवं आपूर्ति-क्रय, उपकरण तथा प्रशिक्षुता परियोजनाओं से जुड़े किसी अन्य व्यय से सम्बंधित निधि देने के लिए किया जा सकता है।

पात्रता मानदंड/परियोजना निर्मिति एवं प्रस्तुतीकरण दिशा निर्देश

परामर्शदाता अपनी विशेषज्ञता के अनुसार किसी भी क्षेत्र को चुन सकते हैं किन्तु केंद्र में एक आईकेएस क्षेत्र अवश्य होना चाहिए। ***ऐसी परियोजनाएं अस्वीकार कर दी जाएंगी जो आईकेएस विषयों से आंशिक रूप से संबंधित हैं एवं पर्याप्त आईकेएस सामग्री से रहित हैं*** (कृपया एक आईकेएस परियोजना के योग्य/अयोग्य रूप में मान्यता के संबंध में टिप्पणी 1 देखें)। कृपया प्रशिक्षुओं की संख्या का चयन करते समय सुनिश्चित करें कि आपका बहुमूल्य समय निश्चित रूप से उनके लिए उपलब्ध होगा।

<u>पात्रता:</u> आईकेएस, भारतीय ज्ञान प्रणाली के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित करता है। किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान(निजी/सार्वजनिक)में कार्यरत संकाय सदस्य, सरकार द्वारा वित्त पोषित प्रयोगशालाएं एवं एनजीओ/ट्रस्ट/फाउंडेशन, गुरुकुल या पाठशाला आचार्य, अभ्यासरत कलाकार न्यूनतम 5 वर्ष के अध्यापन एवं प्रशिक्षण अनुभव के साथ मुख्य परियोजना अधिकारी (पीआई) होने के पात्र हैं। ***इस अनुदान की पात्रता प्राप्त होने के लिए, एनजीओ/ट्रस्ट/फाउंडेशन को पूर्ण रूप से भारतीय ज्ञान प्रणाली से संबंधित अनुसंधान एवं शिक्षा क्षेत्र में कार्य करना चाहिए।*** **संस्थागत संबद्धता से रहित स्वतंत्र शोधकर्ता अथवा कोइ उपाधि प्राप्त कर रहे छात्र मुख्य परियोजना अधिकारी (पीआई) के रूप में आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।** प्रत्येक परियोजना को उन मार्गदर्शकों की सूची की पहचान करनी चाहिए जो सीधे प्रशिक्षुओं के साथ कार्य करेंगे। अपेक्षा की जाती है कि कार्यक्षेत्र विशेषज्ञता वाले मार्गदर्शकों के दल द्वारा प्रमुख अन्वेषक (पीआई) सहायता प्राप्त करेंगे।

<u>परामर्शदाताओं से अपेक्षा</u>: परामर्शदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रति सप्ताह 3-4 घंटे या उससे अधिक दे सकेंगे, जो कि छात्रों को भाज्ञाप का ज्ञान कराने एवं इस हेतु आवश्यक साहित्य संदर्भ खोजने एवं प्रदान करने के लिए आवश्यक है। प्रशिक्षुता परियोजना की आवश्यकतानुसार साहित्य खोज, अनुसंधान एवं क्षेत्र का दौरा करने के लिए परामर्शदाता प्रशिक्षुओं के साथ मिलकर कार्य करेंगे। प्रतिवेदन (रिपोर्ट) में जानकारी की तथ्यात्मक शुद्धता हेतु, परामर्शदाता प्रगति प्रतिवेदन एवं अंतिम प्रतिवेदन के संपादन में प्रशिक्षुओं की सहायता करेंगे। यदि प्रशिक्षु निर्दिष्ट कार्य का निष्पादन नहीं करते हैं तो परामर्शदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे संबन्धित विवरण ईमेल के द्वारा भाज्ञाप प्रभाग को भेजेंगे ताकि प्रशिक्षुता समाप्ति सहित आवश्यक कारवाई की जा सके।

<u>परामर्शदाता सम्मान:</u> परामर्शदाता ही मुख्य रूप से आईकेएस प्रशिक्षुता कार्यक्रम की सफलता के मुख्य सूत्रधार हैं। हमारी युवा पीढ़ी को भारतीय ज्ञान परंपरा का ज्ञान कराने हेतु नि:स्वार्थ भाव से अपना मूल्यवान समय देने एवं उत्तम प्रयासों के लिए हम आपकी उत्साही प्रवृत्ति का अतीव सम्मान एवं सराहना करते हैं। परामर्शदाताओं को आईकेएस प्रभाग द्वारा संपादित प्रमाणपत्र द्वारा सम्मानित किया जाएगा।

आईकेएस प्रभाग की लक्ष्य प्राप्ति में सहायतार्थ, एनईपी 2020 के कार्यान्वयन हेतु स्पष्ट प्रदेय (डिलिवरेबल्स) वाली परियोजनाओं को वित्त पोषित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि प्रस्तावों को समान रूप से अंक किया जाता है, तो हम उन प्रधान अन्वेषकों को वरीयता देते हैं जो पारंपरिक गुरुकुलों / पाठशालाओं में आचार्य, अभ्यासरत कलाकार, सहायक आचार्य, सह आचार्य एवं आचार्य हैं (इस क्रम में)। **एक संस्थान केवल एक प्रशिक्षुता प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। यदि किसी संस्थान से एक से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, तो समस्त प्रस्ताव समीक्षा के बिना ही अस्वीकार कर दिये जायेंगे। प्रस्ताव आठवीं अनुसूची या अंग्रेजी में सम्मिलित किसी भी भारतीय भाषा में प्रस्तुत किया जा सकता है।**

परियोजना विवरण: परियोजना विवरण में विषय की एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि, आईकेएस प्रभाग के लक्ष्य के प्रति प्रासंगिकता, स्पष्ट तथा विशिष्ट लक्ष्य, स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट मापन योग्य परिणाम एवं परियोजना को पूर्ण करने के लिए अपेक्षित घंटों की संख्या जो प्रशिक्षुओं के द्वारा व्यतीत की जायेगी सम्मिलित होनी चाहिए। जिन परियोजनाओं के स्पष्ट लक्ष्य एवं विशिष्ट मापन योग्य परिणाम हैं तथा जो आईकेएस क्षेत्र के लिए प्रासंगिक हैं, उन्हें चयन में वरीयता दी जाएगी।

1. प्रस्ताव इस बात पर केंद्रित किया जाना चाहिए कि यह एनईपी के कार्यान्वयन 2020 में आईकेएस प्रभाग के प्रयास का समर्थन कैसे करेगा।
2. परियोजना की अधिकतम अवधि 06 माह है।
3. संयुक्त (बहु संस्थागत) एवं अंतर्विषयक परियोजनाओं को वरीयता एवं प्रोत्साहन दिया जाता है।
4. **समस्त परियोजनाएं 31st मार्च, 2023 के पूर्व पूर्ण हो जानी चाहिए**।
5. **प्रस्ताव प्रस्तुत करने की समय सीमा 11:59 पीएम, सितंबर 15, 2022 है एवं इसे केवल ऑनलाइन पोर्टल (iksindia.org) के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।** अन्य किसी भी रूप में प्रस्तुत किये गए प्रस्ताव मान्य नहीं होंगे। विलंबित प्रस्तावों को किसी भी कारण से स्वीकार नहीं किया जाएगा।
6. आईकेएस प्रभाग प्रस्तावों को समीक्षा पैनल को नामित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जो आंतरिक समीक्षा द्वारा निर्धारित आईकेएस प्रभाग के लक्ष्य को आगे बढ़ाता है। नामांकित प्रस्तावों पर समान आधार पर विचार किया जाएगा तथा अन्य प्रस्तावों के सामान समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से जाना होगा।
7. चयनित प्रस्तावों की घोषणा की जाएगी एवं अनुदान राशि ओक्टुबर 2022 को उपलब्ध होगी।
8. अंतिम प्रतिवेदन 31st मार्च 2023 तक देय है। परियोजना पीआई, को-पीआई के लिए मानदेय (ऑनरेरिअम) अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने एवं प्रलेखन (डॉकुमेंटेशन) के उपरांत ही मुक्त किया जाएगा।
9. आईकेएस प्रभाग अनुरोध करता है कि प्रत्येक प्रतिवेदन के साथ सामान्य जनोपयोगी सारांश जो 300-शब्दों से अधिक न हो (वेबपेज पर सार्वजनिक रूप से प्रेषित करने हेतु उपयुक्त) तथा कार्य से सम्बंधित पर्याप्त चित्र प्रस्तुत करे। इनका उपयोग आईकेएस के वार्षिक प्रतिवेदन या हमारे अन्तर्जाल पर किया जा सकता है।
10. कृपया अपना प्रस्ताव अधोलिखित दिशानिर्देशों के अनुसार भरें। प्रस्ताव सम्बंधित दिशानिर्देशों का पालन न करने की स्थिति में आपके प्रस्ताव की समीक्षा नहीं की जयेगी एवं कोइ धनराशि आवंटित नहीं की जायेगी।
    - कृपया दिए गए प्रस्ताव टेम्पलेट उपयोग करें। यदि आप इस प्रलेख (डॉक्यूमेंट) में दिए गए टेम्पलेट संस्करण का उपयोग करते हैं, तो आपको पेज एवं मार्जिन को समायोजित करना होगा। टेम्प्लेट का पालन नहीं करने वाले प्रस्तावों को बिना समीक्षा के अस्वीकार कर दिया जाएगा। एवं इस सम्बन्ध में किये गए किसी भी संचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
    - प्रदान किए गए हस्ताक्षर पृष्ठ का उपयोग करें और इसे अपने दस्तावेज़ में एक पृथक पृष्ठ बनाएं।
    - प्रदान किए गए आमुख पृष्ठ को पूर्ण करें। इसे अपने प्रलेख में एक पृथक पृष्ठ बनाएं।

- प्रस्ताव उपयुक्त संदर्भों से युक्त एवं दस (10) पृष्ठों से अधिक दीर्घ नहीं होना चाहिए। कृपया अपना प्रस्ताव स्पष्ट एवं सरल भाषा में लिखें एवं केवल उद्धृत किये गये संदर्भों को ही सूचीबद्ध करें।
- पृष्ठ की प्रत्येक दिशा में 1 इंच मार्जिन, एकल लाइन अंतराल एवं न्यूनतम 11-पॉइंट फॉन्ट का प्रयोग करें।
- पृष्ठ संख्या को नीचे मध्य में रखें।
- एक संपूर्ण प्रस्ताव में निम्नलिखित पृथक-पृथक प्रलेख सम्मिलित हैं (केवल पीडीएफ रूप में):
  - प्रलेख 1: आमुख पृष्ठ
  - प्रलेख 2: प्रस्ताव कथ्य
  - प्रलेख 3: अर्थसंकल्प (बजट) पृष्ठ
  - प्रलेख 4: परियोजना अधिकारी एवं सह परियोजना अधिकारी का सारवृत्त
  - प्रलेख 5: परियोजना अधिकारी हस्ताक्षर तथा संस्थागत अनुमोदन पृष्ठ
- प्रत्येक प्रलेख संचिका (फाइल) 10MB से लघु होनी चाहिए
- प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के बाद इसे निम्नलिखित नामकरण प्रारूप के साथ पीडीफ संचिका के रूप में संरक्षित करें - YOURLASTNAME_ BGSamvahini2
- यदि आप दो प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं, तो प्रत्येक संचिका नाम में एक पहचान प्रत्यय समायोजित करें अर्थात YOURLASTNAME_ BGSamvahini2_projectname

12. प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया
    - कृपया आईकेएस प्रभाग के जालस्थल (वेबसाइट) पर जाएं एवं विवरण भरें: iksindia.org
    - अपनी पीडीएफ प्रस्ताव संचिका (<10 एमबी) उपरोपित (अपलोड) कर अग्रस्थापित (सबमिट) करें।
    - यदि जालस्थल पर आपका प्रस्तुतीकरण सफल रहा है, तो दो दिनों के अन्दर आपको एक पुष्टीकरण अधिसूचना भेजी जाएगी। सफलतम प्रस्ताव भेजने के उपरांत भी सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में कृपया आईकेएस से संपर्क करें।

13 अर्थसंकल्प (बजट) वितरण:

1. परियोजना वित्त-पोषण दो भागों में स्वीकृत किया जाएगा। प्रथम भाग में प्रशिक्षु की अध्येतावृत्ति राशि सम्मिलित है। समस्त प्रदेय (डिलिवरेबल्स) तथा प्रलेख प्रस्तुत किये जाने के उपरान दूसरे भाग में पीआई, को पीआई-एवं सहयोगियों का मानदेय दिया जाना सम्मिलित है।
2. बजट सीमा से अधिक का प्रस्ताव (15.0 लाख या 120 व्यक्ति माह) प्रस्तुत करने वाले प्रस्ताव समीक्षा प्रक्रिया से स्वतः अस्वीकृत करते हुए बिना समीक्षा के ही प्रत्यर्पित (रिटर्न) कर दिये जायेंगे। साथ ही इस सम्बन्ध में कोइ पत्राचार नहीं किया जाएगा।
3. वित्त पोषण निम्नलिखित उपयोगार्थ उपलब्ध कराया जाएगा
   - **वेतन**: परियोजना कर्मियों / परियोजना सहयोगियों / अनुसंधान फेलोशिप / प्रशिक्षुओं (इंटर्न) के लिए वेतन।
   - **मानदेय:** मुख्य अन्वेषक को 1. लाख/वर्ष मानदेय का भुगतान किया जाएगा। सह-पीआई या सहयोगियों 00 की दशा में 1.लाख रुपये 5 प्रति वर्ष मानदेय (अधिकतम रु .0.5 लाख प्रति वर्षसह-पीआई या सहयोगी -)

उनके मध्य समान रूप से वितरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का मानदेय पीआई सह-पीआई/सहयोगियों के लिए/स्वीकार्य नहीं होगा। मानदेय की राशि परियोजना के सभी कार्य पूर्ण होने के उपरांत ही मुक्त की जाएगी।

- **आपूर्ति:** इसके अंतर्गत ₹10,000 से कम मूल्य के उपकरण सम्मिलित हैं, उदाहरण के लिए ₹1000 मूल्य का तापमान संवेदक या रासायनिक बोतल प्रत्येक आपूर्ति के अंतर्गत मान्य होंगे। नमूनों के विश्लेषण के लिए किसी सेवा शुल्क को इस बजट शीर्ष में सम्मिलित किया जा सकता है।
- **उपकरण/ सुविधाएं:** इस बजट शीर्ष के अंतर्गत किसी भी उपकरण क्रय की अनुमति नहीं है।
- **यात्रा व्यय एवं सम्मेलन :**यात्रा की अनुमति केवल कार्यक्षेत्र (फील्ड विज़िट) एवं अन्य आंकड़ा-संग्रह तक सीमित है। अंतर्देशीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने/संबंधी किसी भी यात्रा की अनुमति स्पष्ट: नहीं है। अधिकतम स्वीकार्य यात्रा व्यय कुल बजट का 20 % है।
- **आकस्मिक व्यय:** अनुमत अधिकतम आकस्मिक व्यय कुल बजट का 5% है।
- **उत्तर व्यय (ओवर हेड):** इस बजट शीर्ष के अंतर्गत उत्तर व्यय की अनुमति नहीं है।

4. अनुकूलन अनुदान (मैचिंग ग्रांट): यद्यपि अनिवार्य नहीं है, तथापि आईकेएस प्रभाग के अल्प संसाधनों के साथ इस क्षेत्र में अधिकतम लाभ लेने हेतु अनुकूलन अनुदान या किसी अन्य वित्तीय सहायता के माध्यम से संस्थागत समर्थन को प्रोत्साहित किया जाता है। कृपया इस परियोजना के लिए अन्य स्रोतों से मौद्रिक एवं वस्तुगत सहायता मिलने की सूचना अवश्य दें।

<u>परियोजनाओं के लिए दिशानिर्देश:</u> परियोजनाएं पूर्ण रूप से भाज्ञाप विषयों से संबंधित होनी चाहिए। परियोजना अवधि सुस्पष्ट होनी चाहिए जिसे प्रशिक्षुओं द्वारा दो महीने में पूरा किया जा सके। परियोजनायें स्पष्ट मात्रात्मक रूप से प्रदेय होनी चाहिए। सभी परियोजनाओं के लिए एक व्यापक प्रतिवेदन लिखना आवश्यक है। उन परियोजनाओं के लिए जिनमें प्रदर्शन कलाएं सम्मिलित हैं, एक व्यापक मल्टीमीडिया प्रलेखीकरण की अपेक्षा की जाती है।

<u>टिप्पणी</u> 1* इस कार्यक्रम के विभिन्न प्रयोजनों हेतु आईकेएस को व्यवस्थित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसकी रचना भारतीय उपमहाद्वीप में सहस्राब्दियों से भारतीयों द्वारा की गयी है एवं मौखिक परंपराओं, पांडुलिपियों, ग्रंथों तथा पारंपरिक प्रथाओं के माध्यम से प्रसारित किया गया है। भाज्ञाप समस्त भारतीय भाषाओं में अनेकों रूपों में विद्यमान है। परियोजनाओं में पारंपरिक ज्ञान का सार्थक निवेश होना चाहिए। यहाँ सार्थक निविष्टि से तात्पर्य यह है कि परियोजना में भाज्ञाप से संबंधित साहित्य के प्राथमिक या माध्यमिक स्रोतों का अध्ययन सम्मिलित होना चाहिए। पूर्णरूप से आधुनिक ज्ञान प्रणालियों तथा आधुनिक वैज्ञानिक विधियों एवं विश्लेषण पर आधारित परियोजनायें आईकेएस परियोजनाओं के रूप में मान्य नहीं है। यद्यपि, आईकेएस साहित्य का अध्ययन करने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक विश्लेषण एवं उपकरणों के उपयोग को अत्यधिक प्रोत्साहित किया जाता है। विशिष्ट उदाहरणों के लिए नीचे दी गई तालिका 2 देखें।

तालिका 1. उदाहरण - आईकेएस के परिपेक्ष्य में एक परियोजना योग्य है अथवा अयोग्य ?

आईकेएस परियोजना है	आईकेएस परियोजना नहीं है
पुरातन सेतु/दुर्ग/मंदिरों में प्रयुक्त वज्र विलेप्य (मोर्टार) संरचना का अध्ययन।	किसी निवास क्षेत्र में स्थित पुलों एवं जहाजों का अध्ययन।
समुदायों में प्रचलित जल उपचार विधियों का प्रलेखीकरण एवं मूल्यांकन।	किसी नदी में प्लास्टिक प्रदूषण आदि का अनुवीक्षण करना।
वर्तमान सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु चाणक्य के अर्थशास्त्र की उपयुक्तता एवं प्रयोज्यता का अध्ययन।	एडम स्मिथ या एमएमटी के आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन।
धोलवीर एवं लोथल में बंदरगाह निर्माण का अध्ययन एवं उन बंदरगाहों की क्षमता का आकलन।	एक बंदरगाह में जहाजों का अध्ययन।
छात्रों की संज्ञानात्मक क्षमताओं पर संस्कृत शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन।	यह देखने के लिए विद्यालयों का भ्रमण करना कि संस्कृत शिक्षा कैसे प्रदान की जाती है।
वर्तमान सामाजिक संदर्भ के लिए एक पुराण में शब्दों के प्रासंगिक एवं व्युत्पत्ति संबंधी अर्थों की पहचान करना (उदा. धर्म, न्याय, पाप, पुण्य)।	एक पुराण में शब्दों (जैसे धर्म, न्याय, पाप, पुण्य) की घटनाओं की गणना करना

प्रस्ताव मूल्यांकन मानदंड

समीक्षकों द्वारा अन्य प्रस्तावकों के विरुद्ध आपके प्रस्ताव का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। कृपया इन प्रश्नों के सम्बन्ध में ध्यान से विचार करें एवं निर्दिष्ट प्रस्ताव संरचना का उपयोग करके अपने प्रस्ताव में उनका स्पष्ट उत्तर दें।

* क्या पीआई और टीम के पास प्रस्तावित परियोजना शुरू करने के लिए आवश्यक क्षमता, पूर्व अनुभव और विशेषज्ञता है? (25 अंक)

- क्या अनुसंधान योजना एवं लक्ष्य स्पष्ट रूप से बताए गए हैं एवं उपलभ्य **(समझने योग्य) हैं?** (10 अंक)
- क्या यह परियोजना आईकेएस प्रभाग के ध्येय तथा लक्ष्य क्षेत्रों के लिए **प्रासंगिक है?** (20 अंक)
- क्या परियोजना NEP 2020 कार्यान्वयन में उपयोग के लिए पर्याप्त एवं **महत्वपूर्ण संसाधनों का निर्माण** करने में सक्षम है? (20 अंक)
- क्या इस अध्ययन के परिणाम **उपयोगी** होंगे? क्या परिणाम परिवर्तन लाने में सक्षम हो सकते हैं? इस शोध के **आर्थिक/पर्यावरणीय/सामाजिक** लाभ क्या हैं? (15 अंक)
- क्या प्रस्तावित **प्रशिक्षुओं की आवश्यकता** परियोजना में निष्पादित किए जाने वाले कार्य के लिए **उपयुक्त लगती है**? (10 अंक)
- क्या परियोजना अधिकारी एवं कार्यदल के पास प्रस्तावित विषय में शोध करने के लिए आवश्यक क्षमता, पूर्व अनुभव एवं विशेषज्ञता है? (25 अंक)

प्रस्ताव सामर्थ्य (100 शब्दों तक): कृपया प्रस्ताव में निहित विशिष्ट सामर्थ्य को सूचीबद्ध करें।

प्रस्ताव दौर्बल्य (100 शब्दों तक): कृपया प्रस्ताव में निहित विशिष्ट दौर्बल्य को सूचीबद्ध करें यदि कोई हो।

दौर्बल्यता होने के उपरांत भी क्या आपको लगता है कि प्रस्ताव में कुछ ऐसी विशिष्टताएँ हैं जिनके कारण

परियोजना को समर्थन के लिए अभी भी विचार किया जा सकता है?

सारांश विवरण (100 शब्दों तक): कृपया बताएं कि इस प्रस्ताव का समर्थन किया जाना चाहिए या नहीं।

भारतीय ज्ञान प्रणाली प्रभाग @ एआईसीटीई, शिक्षा मंत्रालय

भारतीय ज्ञान संवाहिनी-2

प्रस्ताव आमुख पृष्ठ आईकेएस-2022 (पृष्ठ सीमा से बाहर है)

प्रस्ताव शीर्षक :

मुख्य शोधकर्ता :

नाम :
ई संकेत :
दूरभाष :
शैक्षणिक श्रेणी :
नियुक्ति प्रकार :
कार्य स्थल :
शैक्षणिक विभाग :

सह-परियोजना अधिकारी (यदि कोई हो):

सहकर्मी/सहयोगी (यदि कोई हो):

परियोजना बजट राशि :

मैं प्रमाणित करता हूं कि मैं परियोजना का नेतृत्व करूंगा तथा प्रस्ताव में उल्लिखित सभी कार्यों को पूरा करूंगा। मैं प्रमाणित करता हूं कि परियोजना के अंत में एक सम्पूर्ण परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा एवं इस कार्य के परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी प्रकाशन में भारतीय ज्ञान प्रणाली प्रभाग@एआईसीटीई, शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त वित्तीय सहयोग हेतु आभार स्वीकृति की जायेगी।

मुख्य शोधकर्ता :

_____

दिनाँक

परियोजना अधिकारी का मुद्रित नाम

विषय वस्तु : 2022-23 आईकेएस संवाहिनी प्रस्ताव

(पृष्ठ सीमा - पाँच-पृष्ठ; विभिन्न वर्गों के लिए नियत शब्द सीमा का उल्लंघन होने पर प्रस्ताव बिना समीक्षा किये ही निरस्त कर दिए जाएंगे)

परियोजना का संक्षिप्त विवरण (250 शब्द): परियोजना किस सम्बन्ध में है? परियोजना से सम्बंधित अपनी धारणा/विचारों का वर्णन करें।

आईकेएस लक्ष्य में योगदान (250 शब्द): यह परियोजना आईकेएस की लक्ष्य प्राप्ति में कैसे योगदान करती है? यह परियोजना एनईपी 2020 के कार्यान्वयन सम्बंधित आईकेएस प्रभाग के लक्ष्य को कैसे आगे बढ़ाएगी?

प्रामाणिकता (250 शब्द): कृपया परियोजना तथा उसके महत्व का आईकेएस के परिपेक्ष्य में औचित्य वर्णन करें।

उद्देश्य और समय सीमा (250 शब्द): कृपया इस परियोजना के लिए विशिष्ट उद्देश्यों की एक स्पष्ट सूची प्रदान करें। इस आरएफपी के लिए एक से तीन उद्देश्य उचित हैं। स्पष्ट एवं विशिष्ट उद्देश्यों को अधिक महत्व दिया जाएगा।

प्रस्ताव की उत्पादकता एवं निष्कर्ष (250 शब्द): परियोजना की उत्पादकता एवं परिणाम क्या हैं? कृपया विशिष्ट उत्पादों एवं परिणामों की एक सूची तैयार करें। यह वर्णन निबन्धात्मक रूप से न करें।

परियोजना का बौद्धिक महत्व एवं व्यापक प्रभाव (250 शब्द): इस परियोजना का बौद्धिक महत्व क्या है? कृपया स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करें कि परियोजना में किस सामग्री का संरक्षण किया जाएगा। यह परियोजना आईकेएस प्रभाग द्वारा एनईपी 2020 के कार्यान्वयन में किस प्रकार सहायता करेगी? बताएं कि विभिन्न प्रकार के हितधारक (विद्यालयीन शिक्षा से सम्बद्ध शिक्षक, स्नातक शिक्षा, शोधकर्ता, आम जन) आदि परियोजना के परिणामों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। ऐसी परियोजनाएं जो ऐसी मूल सामग्री निर्मित करती हैं जिनका उपयोग व्यापक स्तर के हितधारकों द्वारा किया जा सकता है, उन्हें उच्च अंक प्राप्त होंगे।

प्रक्रियाएं (500 शब्द): कृपया इस परियोजना में उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं का सारांश प्रदान करें। प्रक्रियाओं का सार लिखते समय पर्याप्त साहित्यिक संदर्भ प्रदान करना सुनिश्चित करें।

परियोजना दल की विशेषज्ञता (200 शब्द): कृपया प्रस्तावित विषय में परियोजना अधिकारी एवं सह परियोजना अधिकारी के पूर्व अनुभवों के सम्बन्ध में उल्लेख करें। प्रस्ताव में उल्लिखित शोध कार्य के सम्पादन के लिए दल को क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? प्रस्ताव के प्रत्येक घटक को निष्पादित करने के लिए प्रारंभिक परिणामों के संदर्भ में प्रत्येक अन्वेषक के पास उपलब्ध विशेषज्ञता पर प्रकाश डाला जाना चाहिए।

सह-परियोजना अधिकारी एवं सहकारिता अधिकारी (यदि मुख पृष्ठ पर सूचीबद्ध हैं) की विशिष्ट भूमिकाएं (200 शब्द): दल के सदस्यों की विशिष्ट भूमिकाएं क्या हैं? दल के सभी सदस्यों का पर्याप्त योगदान सम्मिलित होना

चाहिए। यदि प्रस्ताव में एक से अधिक अन्वेषक शामिल हैं, तो प्रस्ताव के उद्देश्यों को लागू करने में प्रत्येक अन्वेषक की भूमिका का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना महत्वपूर्ण है।

समयरेखा (100 शब्द): परियोजना कार्यों के लिए समय-सीमा तथा गतिविधियों की सूची का आरेखीय माध्यम से उल्लेख करें। इस कार्यक्रम की अधिकतम अवधि छ: माह है।

उद्धृत संदर्भ (पृष्ठ सीमा से बाहर है)

- **प्राथमिक संदर्भ:** रिक्त नहीं छोड़ा जा सकता। न्यूनतम एक प्राथमिक पाठ सम्मिलित होना चाहिए। प्राथमिक संदर्भ प्रस्तावित शोध से संबंधित मूल पाठ है। यह सामान्यत: संस्कृत या अन्य भारतीय भाषाओं में होते हैं। दल में एक ऐसा व्यक्ति अवश्य होना चाहिए जो बिना किसी सहायता या किसी अनुवाद के प्राथमिक पाठ पढ़ सके।
- **अनूदित प्राथमिक पाठ तथा द्वितीयक संदर्भ:** ये प्राथमिक ग्रंथों के अंग्रेजी सहित विभिन्न भाषाओं में किये गए अनुवाद से संबंधित हैं। द्वितीयक संदर्भ, प्राथमिक ग्रंथों के लिए टीका के रूप में पाठों / लेखों को संदर्भित करते हैं ।
- **अन्य संदर्भ:** अन्य सभी प्रासंगिक संदर्भ यहां सम्मिलित हैं।

बजट *(पृष्ठ सीमा के बाहर है - कृपया सभी आंकड़ों को निकटतम सौ रुपये में पूर्णांकित करें)*

टिप्पणी: कृपया 20 लाख रुपये प्रति परियोजना सीमा का उल्लंघन न करें। बजट सीमा से अधिक का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले प्रस्ताव समीक्षा प्रक्रिया से स्वतः अस्वीकृत करते हुए बिना समीक्षा के ही प्रत्यर्पित (रिटर्न) कर दिये जायेंगे। साथ ही इस सम्बन्ध में कोइ पत्राचार नहीं किया जाएगा।

4. परियोजना वित्त-पोषण दो भागों में स्वीकृत किया जाएगा। प्रथम भाग में प्रशिक्षु की अध्येतावृत्ति राशि सम्मिलित है। समस्त प्रदेय (डिलिवरेबल्स) तथा प्रलेख प्रस्तुत किये जाने के उपरान दूसरे भाग में पीआई, को पीआई-एवं सहयोगियों का मानदेय दिया जाना सम्मिलित है।
5. बजट सीमा से अधिक का प्रस्ताव (15.0 लाख या 120 व्यक्ति माह) प्रस्तुत करने वाले प्रस्ताव समीक्षा प्रक्रिया से स्वतः अस्वीकृत करते हुए बिना समीक्षा के ही प्रत्यर्पित (रिटर्न) कर दिये जायेंगे। साथ ही इस सम्बन्ध में कोइ पत्राचार नहीं किया जाएगा।
6. वित्त पोषण निम्नलिखित उपयोगार्थ उपलब्ध कराया जाएगा
   - **वेतन**: परियोजना कर्मियों / परियोजना सहयोगियों / अनुसंधान फेलोशिप / प्रशिक्षुओं (इंटर्न) के लिए वेतन।
   - **मानदेय:** मुख्य अन्वेषक को लाख/वर्ष मानदेय का भुगतान किया जाएगा। सह-पीआई या सहयोगियों की दशा में 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष मानदेय (अधिकतम रुपये 0.5 लाख प्रतिवर्ष – पीआई या सहयोगी) उनके मध्य समान रूप से वितरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का मानदेय पीआई सह-पीआई/सहयोगियों के लिए/स्वीकार्य नहीं होगा। मानदेय की राशि परियोजना के सभी प्रदेय/कार्य पूर्ण होने के उपरांत ही मुक्त की जाएगी।
   - **आपूर्ति:** इसके अंतर्गत ₹10,000 से कम मूल्य के उपकरण सम्मिलित हैं, उदाहरण के लिए ₹1000 मूल्य का तापमान संवेदक या रासायनिक बोतल प्रत्येक, आपूर्ति के अंतर्गत मान्य होंगे। नमूनों के विश्लेषण के लिए किसी सेवा शुल्क को इस बजट शीर्ष में सम्मिलित किया जा सकता है।
   - **उपकरण/ सुविधाएं:** इस बजट शीर्ष के अंतर्गत किसी भी उपकरण क्रय की अनुमति नहीं है।
   - **यात्रा व्यय एवं सम्मेलन**: यात्रा की अनुमति केवल कार्यक्षेत्र (फील्ड विज़िट) एवं अन्य आंकड़ा-संग्रह तक सीमित है। अंतर्देशीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने/संबंधी किसी भी यात्रा की अनुमति स्पष्ट: नहीं है। अधिकतम स्वीकार्य यात्रा व्यय कुल बजट का 5 % है।
   - **आकस्मिक व्यय:** अनुमत अधिकतम आकस्मिक व्यय कुल बजट का 5% है।
   - **उत्तर व्यय (ओवर हेड):** इस बजट शीर्ष के अंतर्गत उत्तर व्यय की अनुमति नहीं है।

व्यक्तिगत वृत्त का प्रारूप

(प्रत्येक अन्वेषक के लिए दो पृष्ठों से अधिक नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत वृत्त पृष्ठ सीमा से बाहर है)

1. नाम :

2. पत्राचार का पता :

3. ई संकेत :

4. दूरभाष :

5. संस्थान :

6. शैक्षणिक योग्यता :

7. कार्य अनुभव (कालानुक्रमिक क्रम में) :

8. व्यावसायिक मान्यता/पारितोषिक/पुरस्कार/प्रमाणपत्र, शोधवृत्ति :

9. समकक्ष समीक्षित प्रकाशन :

10. पेटेंट का विवरण (यदि कोई हो) :

11. पुस्तकें/प्रतिवेदन/अध्याय/सामान्य लेख आदि :

12. पूर्व 5 वर्षों के अंतराल में चल रही/पूर्ण हो चुकी परियोजनाएं :

13. इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आपकी क्षमता (अधिकतम 500 शब्द):

14. कोई अन्य जानकारी (अधिकतम 500 शब्द)

परियोजना अधिकारी से प्रमाण पत्र
(पृष्ठ सीमा से बाहर)

परियोजना का शीर्षक :

प्रमाणित किया जाता है कि

1. परियोजना प्रस्ताव वित्तीय सहायता के लिए अन्यत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2. मैं वचन देता हूं कि अतिरिक्त समय में परियोजना में क्रय किये गए उपकरण अन्य उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराये जाएंगे।

3 यदि परियोजना में क्षेत्रीय चरण/प्रयोग/नमूनों का आदान-प्रदान, मानव एवं पशु सामग्री आदि सम्मिलित हैं, तो मैं संबंधित नैतिक समिति से नैतिक स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए सहमत हूं।

4. योजना/परियोजना में प्रस्तावित शोध कार्य इस विषय पर पूर्व में किए गए या अन्यत्र किए जा रहे कार्य की प्रतिलिपि (डुप्लीकेट) किसी भी प्रकार से नहीं है।

5. मैं आईकेएस प्रभाग@एआईसीटीई, शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त अनुदान के नियमों और प्रतिबंधों का पालन करने के लिए सहमत हूं।

परियोजना अधिकारी के हस्ताक्षर

परियोजना अधिकारी का नाम

परियोजना अधिकारी की संबद्धता

दिनांक :

स्थान

संस्थान प्रमुख का अनुमोदन

(पृष्ठ सीमा से बाहर है)

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

1. प्रमाणित किया जाता है कि शीर्षक_____ नामक परियोजना के लिए मुख्य परियोजना अधिकारी के रूप में _____ की एवं सह- परियोजना अधिकारी के रूप में _____ की भागीदारी का संस्थान स्वागत करता है, तथा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि किन्हीं अपरिहार्य कारणों के चलते प्रधान परियोजना अधिकारी की अनुपस्थिति में आईकेएस प्रभाग@एआईसीटीई, शिक्षा मंत्रालय को उचित जानकारी देते हुए परियोजना के सफलतम समापन का समस्त दायित्व सह परियोजना अधिकारी का होगा।

2. परियोजना का दिन उस दिनाँक से प्रारम्भ होगा जब संस्थान को आईकेएस प्रभाग@एआईसीटीई, शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली से अनुदान प्राप्त होता है।

3. परियोजना अन्वेषक संस्थान के नियमों और विनियमों द्वारा शासित होगा तथा परियोजना की अवधि के लिए संस्थान के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा।

4. शिक्षा मंत्रालय के आईकेएस प्रभाग@एआईसीटीई, नई दिल्ली द्वारा प्रदान किये गए सहायता अनुदान का उपयोग परियोजना पर प्रस्तावित व्यय को एवं प्रस्तावित अवधि में पूर्ण करने के लिए किया जाएगा जैसा कि स्वीकृति आदेश में उल्लिखित है।

5. परियोजना के अंत में शिक्षा मंत्रालय के आईकेएस प्रभाग@एआईसीटीई, नई दिल्ली के साथ कोई प्रशासनिक या अन्य दायित्व संलग्न नहीं किया जाएगा।

6. संस्थान शोध परियोजना का प्रारम्भ करने के लिए परियोजना अन्वेषक को बुनियादी ढांचा एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा।

7. संस्थान उपरोक्त परियोजना में सृजित सभी संपत्तियों को अपने लेखा में सम्मिलित करेगा तथा इसका निदान शिक्षा मंत्रालय के आईकेएस प्रभाग@एआईसीटीई, नई दिल्ली के विवेक पर होगा।

8. संस्थान द्वारा परियोजना के वित्तीय तथा अन्य प्रबंधन दायित्वों का निर्वहन अपेक्षित है।

मुद्रांकन सहित संस्थान प्रमुख के हस्ताक्षर

दिनाँक: